पर, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 48 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप—नियम अंतःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्ः—
 - "(4) बीजक को, सामान्य माल और सेवा कर इलेक्ट्रानिक पोर्टल पर इसमें अंतर्विष्ट सूचना को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपलोड करके बीजक संदर्भ संख्या प्राप्त करने के पश्चात प्ररूप जी एस टी आई एन वी—01 में अंतर्विष्ट ऐसी विशिष्टियों को सम्मिलित करके, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा तैयार किया जाएगा जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।
 - (5) प्रत्येक बीजक, जो उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उप—िनयम (4) लागू किया गया है, जिसको उक्त उप—िनयम में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न किसी रीति से जारी किया है, को बीजक नहीं माना जाएगा।
 - (6) उप—नियम (1) और (2) के उपबंध उप—नियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से तैयार किए गए बीजक पर लागू नहीं होंगे।"

आदेश द्वारा, संजय कुंडू, प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

टिप्पण.—मूल नियम अधिसूचना सं० 3/2017—राज्य कर, तारीख 27 जून, 2017 द्वारा संख्या सं०ई.एक्स. एन—एफ(10)—13/2017 के तहत तारीख 27 जून, 2017 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई—गज़ट) में प्रकाशित किए गए थे तथा अंतिम बार अधिसूचना संख्या 56/2019 राज्य कर तारीख 29 नवम्बर, 2019 जो संख्या सं०ई.एक्स.एन.—एफ(10)—23/2019 के द्वारा तारीख 3 दिसम्बर, 2019 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (ई—गज़ट) में प्रकाशित की गई थी, के द्वारा संशोधित किए गए थे।

[Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-25/2019 dated 31-12-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION No. 68/2019-State Tax

Shimla, the 31st December, 2019

No. EXN-F(10)-25/2019.—In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- **1.** (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
 - "(4) The invoice shall be prepared by such class of registered persons as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, by including such particulars contained in **FORM GST INV-01** after obtaining an Invoice Reference Number by uploading information contained therein on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification.
 - (5) Every invoice issued by a person to whom sub-rule (4) applies in any manner other than the manner specified in the said sub-rule shall not be treated as an invoice.
 - (6) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in sub-rule (4).".

By order, SANJAY KUNDU, Principal Secretary (E&T).

Note.—The principal rules were published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* notification No. 3/2017-State Tax, dated the 27th June, 2017, published *vide* number EXNF(10)-13/2017, dated the 27th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 56/2019- State Tax, dated the 29th November, 2019, published *vide* number EXN-F(10)-23 /2019, dated the 3rd December, 2019.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं. 69 / 2019-राज्य कर

शिमला-2, 31 दिसम्बर, 2019

सं0ई.एक्स.एन.—एफ(10)—25/2019.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) की धारा 146 के साथ पिठत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उप—िनयम (4) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त नियमों के नियम 48 के उप—िनयम (4) के निबंधनों में बीजक तैयार करने के प्रयोजन के लिए निम्निखित को सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में अधिसृचित करते हैं, अर्थात:—

- (i) www.einvoice1.gst.gov.in;
- (ii) www.einvoice2.gst.gov.in;
- (iii) www.einvoice3.gst.gov.in;
- (iv) www.einvoice4.gst.gov.in;
- (v) www.einvoice5.gst.gov.in;
- (vi) www.einvoice6.gst.gov.in;